

 सामाजिक सुरक्षा संगठन Social Security Organisation	कोयला खान भविष्य निधि संगठन COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION (भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय) (A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India) आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER	पुलिस लाईन, @POLICE LINE, धनबाद @DHANBAD पिन /PIN-826014 (झारखण्ड) (JHARKHAND) फोन नं./Phone No.- 0326-2202114 email : commissioner@cmpfo.gov.in Website:- www.cmpfo.gov.in
---	--	---

संदर्भ सं.: CMPFO-15.0011.0/11/2023-CP-Part(1)/356 दिनांक: 12 अगस्त, 2026

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3A(1)(f) के अंतर्गत न्यासी बोर्ड (BoT), सीएमपीएफओ में कर्मचारी प्रतिनिधि (गैर-ट्रेड यूनियन श्रेणी) की नियुक्ति हेतु नामांकन/आवेदन के लिए खुली सूचना

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (CMPF & MP Act, 1948) के अंतर्गत आने वाली सभी कोयला खदानों/कंपनियों में कार्यरत पात्र, गैर-यूनियन कर्मचारियों से अधिनियम की धारा 3A(1)(f) के अनुसरण में न्यासी बोर्ड (BoT), सीएमपीएफओ (CMPFO) पर एक कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

मुख्य शर्तें एवं पात्रता मानदंड:

- **सांविधिक अधिदेश:** अधिनियम की धारा 3A(1)(f) के अनुसार, उम्मीदवार स्वयं एक कर्मचारी होना चाहिए तथा वह किसी भी ट्रेड यूनियन या कोयला उद्योग में कार्यरत किसी भी यूनियन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- **न्यूनतम अर्हक सेवा:** उम्मीदवार ने अधिनियम के तहत आने वाली कोयला खदान/प्रतिष्ठान में न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष की निरंतर नियमित सेवा पूरे की हो।
- **शेष सेवा एवं वीआरएस (VRS) संबंधी चयनबद्धता:** आवेदक की अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) से पहले कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा शेष होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक को यह स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि उसकी 5 वर्षों के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या त्यागपत्र देने की कोई मंशा नहीं है और न ही उसने इसके लिए आवेदन किया है।
- **सांविधिक अनुरूपता (सीएमपीएफ योजना, 1948 का पैरा 6A एवं 10):** आवेदक को योजना के पैरा 6A में निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। विशेष रूप से, आवेदक:-
 - किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित (मानसिक रूप से अस्वस्थ) घोषित न किया गया हो;
 - अनुन्मोचित दिवालिया न हो;
 - नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो;
 - अधिनियम/योजना के तहत देय किसी भी सांविधिक बकाये के भुगतान में चूककर्ता (डिफॉल्टर) न हो।
- **सतर्कता एवं आचरण:** आवेदक किसी भी लंबित/प्रस्तावित सतर्कता जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले से मुक्त होना चाहिए। नियोक्ता द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (Integrity Certificate) जारी किया जाना अनिवार्य है।

Handwritten signature and date: 12/08/2026

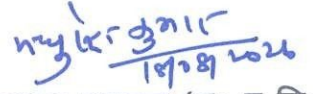
- **पद की अवधि:**

सीएमपीएफ योजना, 1948 के पैरा 4 के अनुसार, नियुक्त न्यासी का कार्यकाल 2 (दो) वर्ष अथवा केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट अवधि (अधिकतम 5 वर्ष) का होगा।

- **आवेदन प्रक्रिया एवं समय-सीमा:**

इच्छुक पात्र कर्मचारी अपने सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों, सतर्कता अनापत्ति (विजिलेंस क्लीयरेंस), और गैर-यूनियन शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-अ) में अपना विस्तृत आवेदन उचित माध्यम से (संबंधित कोयला खदान/कंपनी के महाप्रबंधक/मानव संसाधन प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित) जमा कर सकते हैं।

- उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
- ईमेल द्वारा जमा करने का पता: commissioner@cmpfo.gov.in


सहायक आयुक्त (स० व नि०)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सहायक आयुक्त (आईटी), सीएमपीएफ मुख्यालय, धनबाद - इसे सीएमपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।

अनुलग्नक-अ

न्यासी बोर्ड (BoT), सीएमपीएफओ में कर्मचारी प्रतिनिधि (गैर-ट्रेड यूनियन श्रेणी) के नामांकन/चयन हेतु आवेदन प्रपत्र

(सीएमपीएफ योजना, 1948 के पैरा 6A के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 3A(1)(f) के अंतर्गत)

(आवेदक द्वारा भरा जाए और उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

भाग I: व्यक्तिगत एवं सेवा विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्रविष्टि
1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
4.	पदनाम / व्यवसाय	
5.	कार्मिक संख्या / कर्मचारी आईडी	
6.	सीएमपीएफ खाता संख्या	
7.	कोयला खदान / इकाई / प्रतिष्ठान का नाम	
8.	अनुषंगी / कंपनी का नाम (उदा. बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एससीसीएल, आदि)	
9.	प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तिथि	
10.	कुल नियमित सेवा अवधि (01.08.2026 तक)	____ वर्ष ____ माह
11.	सेवानिवृत्ति (अधिवर्षिता) की तिथि	
12.	शेष नियमित सेवा (01.08.2026 तक)	____ वर्ष ____ माह
13.	स्थायी पता	
14.	वर्तमान कार्यस्थल का पता	
15.	मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी	

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

भाग II: आवेदक द्वारा सांविधिक वचनबद्धता एवं स्व-घोषणा

मैं, _____ (नाम), पदनाम: _____, कर्मचारी सं०: _____, सीएमपीएफ खाता सं.: _____, वर्तमान में _____ कोलियरी / खदान में कार्यरत, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. **गैर-यूनियन स्थिति:** मैं स्वयं एक कर्मचारी हूँ तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत या कोयला उद्योग में कार्यरत किसी भी ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य अथवा पंजीकृत सदस्य नहीं हूँ।
2. **अर्हक सेवा:** मैंने सीएमपीएफ और एमपी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाली कोयला खदानों में 3 (तीन) वर्ष से अधिक की निरंतर नियमित सेवा पूरी कर ली है।
3. **वीआरएस / त्यागपत्र की कोई मंशा नहीं:** अधिवर्षिता से पूर्व मेरी कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा शेष है और मैंने बोर्ड पर न्यासी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), त्यागपत्र या समयपूर्व सेवामुक्ति के लिए न तो आवेदन किया है और न ही मेरी ऐसी कोई मंशा है।
 - **सांविधिक निष्कलंक रिकॉर्ड (पैरा 6A, सीएमपीएफ योजना, 1948):-**
 - मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित नहीं किया गया है।
 - मैं कोई अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हूँ।
 - मुझे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।
 - मैंने अधिनियम या योजना के तहत देय किसी भी वैधानिक बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
4. **सतर्कता एवं अनुशासनात्मक स्थिति:** मेरे विरुद्ध कोई सतर्कता जांच, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमा न तो लंबित है और न ही प्रस्तावित है।

मैं समझता/समझती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य, छिपाई गई या भ्रामक पाई जाती है, तो कंपनी के सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी उम्मीदवारी/नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____

आवेदक का नाम: _____

भाग III: नियोक्ता / इकाई प्रमुख द्वारा प्रमाणन एवं अनुशंसा
(कोयला कंपनी / इकाई के महाप्रबंधक / प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाना है)

संदर्भ सं.: _____

दिनांक: _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री _____, पदनाम: _____, कर्मचारी सं०: _____, सीएमपीएफ खाता सं.: _____ द्वारा ऊपर भाग-I और भाग-II में दिए गए विवरणों का सेवा अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है और वे सही पाए गए हैं।

- **सेवा सत्यापन:** आवेदक नियमित सेवा में दिनांक _____ को शामिल हुआ था और उसने _____ वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। कर्मचारी की शेष सेवा _____ वर्ष है, क्योंकि सेवानिवृत्ति की तिथि _____ है।
- **वीआरएस स्थिति:** आवेदक ने आज की तिथि तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS)/त्यागपत्र के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
- **गैर-यूनियन प्रमाणन:** कंपनी के अभिलेखों एवं उपलब्ध घोषणाओं के अनुसार, आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी या प्रतिनिधि नहीं है।
- **सतर्कता अनापत्ति:** कर्मचारी सतर्कता/अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से पूर्णतः मुक्त है। उसके विरुद्ध कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित या प्रस्तावित नहीं है।
- **अनुशंसा:** श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के नामांकन को न्यासी बोर्ड (BoT), सीएमपीएफओ में कर्मचारी प्रतिनिधि (गैर-ट्रेड यूनियन श्रेणी) के रूप में विचारार्थ अग्रेषित किया जाता है।

महाप्रबंधक (मा.सं. / कार्मिक) / इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर: _____

नाम एवं पदनाम: _____

कोयला कंपनी / अनुषंगी का नाम: _____